

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन- 07574-253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 1020 / दो-1-8 / 19

होशंगाबाद दिनांक 05.09.2020

प्रति,

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिये गये आगामी दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक सी/2144 जबलपुर दिनांक 05.09.2020

—00—

उपरोक्त विषयानुसार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व में जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तारतम्य में सभी विद्यमान तथ्यों को विचार में लेते हुए पूर्व परिपत्र क्रमांक सी/2086 जबलपुर दिनांक 29.08.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक की अवधि के लिए बढ़ायी गयी है, जिसमें पूर्व परिपत्र क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020, क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020, बी/2655 दिनांक 24.07.2020 एवं अन्य संबंधित परिपत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों/परिवार न्यायालयों में सीमित कार्य (Limited Functioning) करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित परिपत्र के आलोक में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 792/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 19.07.2020 की प्रभावशीलता दिनांक 07.09.2020 से 12.09.2020 तक की अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।


यह कि पूर्व परिपत्रों में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन शब्द एवं भाव (In Letter & Spirit) के अनुसार किया जावे।

संलग्न-माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
का परिपत्र क्रमांक सी/2144 जबलपुर
दिनांक 05.09.2020

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

प्रतिलिपि,

- (1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) जिला दण्डाधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)
- (6) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (7) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)
- (8) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (9) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (10) सिस्टम ऑफिसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. C/2144/

Jabalpur, dated 05/09/2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the Subordinate Courts including Family Courts in State of M.P. as follows:-

In continuation of Circular No. C/2086, dated 29.08.2020, the limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No. Q-12 dated 4th May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court is hereby extended from 7th September, 2020 till 11th September, 2020 for the High Court and from 7th September, 2020 till 12th September for Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P.

By order of Hon'ble the Chief Justice


(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL